भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4449

जिसका उत्तर 20 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

कोयला धारक क्षेत्रों का पट्टा

4449. श्रीमती हिमाद्री सिंहः

श्री काली चरण सिंहः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत अधिग्रहित भूमि को निजी संस्थाओं, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (एसपीएसयू) तथा राज्य सरकार सहित अन्य संस्थाओं को पट्टे पर दिया जा सकता है;

(ख) यदि हाँ, तो पट्टे के लिए पात्र भूमि की श्रेणियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पट्टे पर दी गई भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है;

(घ) मध्य प्रदेश के शहडोल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) में भूमि अधिग्रहण के कितने मामले लंबित हैं; और

(ङ) क्या भूमि अधिग्रहण के बदले भूमि आश्रितों को भुगतान और रोजगार प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (सीबीए अधिनियम) के तहत अधिग्रहीत भूमि को अन्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अपने पीएसयू सहित राज्य सरकारें और निजी कंपनियां भूमि के स्वामित्व में परिवर्तन किए बिना कोयला अवसंरचना के विकास और अन्य विकास गतिविधियों के लिए पट्टे पर अधिग्रहीत भूमि प्रदान करने की सुविधा के लिए दिनांक 22.04.2022 को नीतिगत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

(ख) : नीतिगत दिशा-निर्देश केवल सीबीए अधिनियम के तहत अधिग्रहीत ऐसी भूमियों को पट्टे पर देने के लिए लागू होते हैं जो कोयला खनन के लिए अब उपयुक्त अथवा आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं हैं अथवा ऐसी भूमि जहां से कोयले का खनन/कोयला निकाला गया है और ऐसी भूमि को पुनरूद्धारित किया गया है।

(ग) : दिनांक 22.04.2022 के नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार, निम्नलिखित कोयला अवसंरचना और विकास गतिविधियों के लिए भूमि को पट्टे पर देने पर विचार किया जाएगा:

i. कोयला वाशरियों की स्थापना के लिए
ii. कन्वेयर सिस्टम स्थापित करने के लिए
iii. कोयला हैंडलिंग संयंत्रों की स्थापना के लिए
iv. रेलवे साइडिंग का निर्माण करने के लिए
v. सीबीए अधिनियम, 1957 या अन्य भूमि अधिग्रहण कानूनों के तहत भूमि के अधिग्रहण के कारण परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) का पुनर्वास और पुनर्स्थापन
vi. ताप और नवीकरणीय विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करना
vii. वनीकरण, अस्पतालों, परियोजना कार्यालय आदि सहित कोयला विकास संबंधी अवसंरचना की स्थापना करना और उसे उपलब्ध कराना शामिल है।
viii. मार्गाधिकार प्रदान करने के लिए
ix. कोयला गैसीकरण और कोयला से रासायनिक संयंत्रों तक
x. कोल बेड मीथेन (सीबीएम) निष्कर्षण और
xi. ऊर्जा से संबंधित अवसंरचना ढांचे की स्थापना या प्रदान करना।

(घ) : शहडोल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) में सीबीए अधिनियम, 1957 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के 04 मामले लंबित हैं।

(ङ) : जब कभी काश्तकारों द्वारा उचित भूमि अभिलेख और दस्तावेज उपलब्ध कराए जाते हैं, तब भूमि अधिग्रहण के बदले पात्र भूमि आश्रितों को वैध मुआवजे के भुगतान और रोजगार प्रदान करने में तेजी लाई जाती है। विवादित मामलों को सीबीए अधिनियम, 1957 के तहत गठित न्यायाधिकरणों को भेजा जाता है, और ऐसे मामलों में भूमि के पार्सल के सापेक्ष देय राशि न्यायाधिकरण के समक्ष जमा की जाती है।

*****